महिला और बाल विकास मंत्रालय

मांग संख्या 99

महिला और बाल विकास मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	17240.68	19.60	17260.28	17878.12	30.00	17908.12	18295.35	30.00	18325.35	22556.02	38.65	22594.67
वसूलियां	*-11.56*	...	-11.56	*-500.00*	...	*-500.00*	*-685.00*	...	*-685.00*	*-500.00*	...	*-500.00*
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**17229.12**	**19.60**	**17248.72**	**17378.12**	**30.00**	**17408.12**	**17610.35**	**30.00**	**17640.35**	**22056.02**	**38.65**	**22094.67**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	34.39	...	34.39	34.19	...	34.19	35.99	...	35.99	42.07	...	42.07
2. खाद्य एवं पोषण बोर्ड	11.55	...	11.55	12.90	...	12.90	13.79	...	13.79	14.36	...	14.36
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**45.94**	**...**	**45.94**	**47.09**	**...**	**47.09**	**49.78**	**...**	**49.78**	**56.43**	**...**	**56.43**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
3. राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड)	40.30	...	40.30	60.60	...	60.60	59.38	...	59.38	60.60	...	60.60
4. केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा)	7.15	...	7.15	10.50	...	10.50	8.25	...	8.25	10.50	...	10.50
5. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर)	9.09	...	9.09	19.00	...	19.00	19.00	...	19.00	19.00	...	19.00
6. राष्ट्रीय महिला आयोग	23.58	...	23.58	25.60	...	25.60	25.60	...	25.60	25.60	...	25.60
7. केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड	54.87	...	54.87	71.28	...	71.28	71.28	...	71.28	71.28	...	71.28
8. राष्ट्रीय महिला कोष	...	...	...	1.00	...	1.00	0.01	...	0.01	1.00	...	1.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	**134.99**	**...**	**134.99**	**187.98**	**...**	**187.98**	**183.52**	**...**	**183.52**	**187.98**	**...**	**187.98**
अन्य												
9. नेशनल अवाड्‌र्स	0.54	...	0.54	0.45	...	0.45	0.45	...	0.45	0.45	...	0.45
10. यूनिसेफ के लिए अंशदान	5.60	...	5.60	5.60	...	5.60	5.60	...	5.60	5.60	...	5.60
जोड़-अन्य	**6.14**	**...**	**6.14**	**6.05**	**...**	**6.05**	**6.05**	**...**	**6.05**	**6.05**	**...**	**6.05**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	141.13	...	141.13	194.03	...	194.03	189.57	...	189.57	194.03	...	194.03
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
समेकित बाल विकास सेवा												
11. आंगनवाड़ी सेवाएं (पूर्व में मुख्य आईसीडीएस)	15433.09	...	15433.09	14000.00	...	14000.00	14560.60	...	14560.60	15245.19	...	15245.19
12. राष्ट्रीय पोषण मिशन (आईएसएसएनपी सहित)												
12.01 कार्यक्रम के घटक	1.23	19.60	20.83	370.00	30.00	400.00	9.25	30.00	39.25	1061.35	38.65	1100.00
12.02 ईएपी घटक	35.40	...	35.40	450.00	...	450.00	135.75	...	135.75	400.00	...	400.00
जोड़- राष्ट्रीय पोषण मिशन (आईएसएसएनपी सहित)	*36.63*	*19.60*	*56.23*	*820.00*	*30.00*	*850.00*	*145.00*	*30.00*	*175.00*	*1461.35*	*38.65*	*1500.00*
13. प्रसूति लाभ कार्यक्रम	233.37	...	233.37	400.00	...	400.00	634.00	...	634.00	2700.00	...	2700.00
14. किशोरियों के लिए स्कीम	475.22	...	475.22	460.00	...	460.00	460.00	...	460.00	460.00	...	460.00
15. राष्ट्रीय क्रेच स्कीम	133.02	...	133.02	150.00	...	150.00	150.00	...	150.00	200.00	...	200.00
16. बाल संरक्षण योजना	496.85	...	496.85	397.00	...	397.00	597.50	...	597.50	648.00	...	648.00
17. देख-रेख और संरक्षण के जरूरतमंद कामकाजी बालकों के कल्याण की योजना	6.77	...	6.77	3.00	...	3.00	2.50	...	2.50	2.00	...	2.00
जोड़-समेकित बाल विकास सेवा	**16814.95**	**19.60**	**16834.55**	**16230.00**	**30.00**	**16260.00**	**16549.60**	**30.00**	**16579.60**	**20716.54**	**38.65**	**20755.19**
महिलाओं का संरक्षण और सशक्तीकरण मिशन												
18. राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन	20.68	...	20.68	50.00	...	50.00	42.00	...	42.00	70.00	...	70.00
19. स्वाधार गृह	48.13	...	48.13	100.00	...	100.00	90.00	...	90.00	100.00	...	100.00
20. प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम को सहयोग देना (एसटीईपी)	11.74	...	11.74	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	40.00	...	40.00
21. उज्वला	19.94	...	19.94	35.00	...	35.00	24.00	...	24.00	50.00	...	50.00
22. कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल	12.19	...	12.19	28.00	...	28.00	28.00	...	28.00	50.00	...	50.00
23. जेंडर बजटिंग	1.66	...	1.66	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
24. अनुसंधान, प्रकाशन तथा मानीटरिंग	1.73	...	1.73	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
25. सूचना एवं जन संचार (मीडिया)	30.46	...	30.46	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00	75.00	...	75.00
26. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	59.36	...	59.36	100.00	...	100.00	43.00	...	43.00	200.00	...	200.00
27. महिला हेल्पेलाइन	15.12	...	15.12	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	10.00	...	10.00
28. वन स्टॉप सेंटर	10.35	...	10.35	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00	90.00	...	90.00
29. निर्भया कोष से वित्त पोषित अन्य योजनाएं	...	...	...	400.00	...	400.00	585.00	...	585.00	400.00	...	400.00
30. निर्भया कोष को अंतरण	...	...	...	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00
31. निर्भया कोष से वहन की गयी राशि	...	...	...	-500.00	...	-500.00	-685.00	...	-685.00	-500.00	...	-500.00
32. महिलाओं की स्थिति पर उच्च स्तरीय समिति	0.39	...	0.39	...	...	...	0.10	...	0.10	0.01	...	0.01
33. महिलाओं एवं बच्चों पर अभिनव कार्य	...	...	...	...	...	...	0.30	...	0.30	0.01	...	0.01
34. प्रियदर्शिनी	6.91	...	6.91	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-महिलाओं का संरक्षण और सशक्तीकरण मिशन	**238.66**	**...**	**238.66**	**907.00**	**...**	**907.00**	**821.40**	**...**	**821.40**	**1089.02**	**...**	**1089.02**
35. वास्तविक वसूली	-11.56	...	-11.56	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	**17042.05**	**19.60**	**17061.65**	**17137.00**	**30.00**	**17167.00**	**17371.00**	**30.00**	**17401.00**	**21805.56**	**38.65**	**21844.21**

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल जोड़	*17229.12*	*19.60*	*17248.72*	*17378.12*	*30.00*	*17408.12*	*17610.35*	*30.00*	*17640.35*	*22056.02*	*38.65*	*22094.67*
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	535.14	...	535.14	1387.23	...	1387.23	1151.23	...	1151.23	1395.11	...	1395.11
2. पोषाहार	2.79	...	2.79	12.90	...	12.90	13.79	...	13.79	14.36	...	14.36
3. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	34.35	...	34.35	34.19	...	34.19	35.99	...	35.99	42.07	...	42.07
4. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजी परिव्यय	...	19.60	19.60	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00	...	38.65	38.65
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**572.28**	**19.60**	**591.88**	**1434.32**	**30.00**	**1464.32**	**1201.01**	**30.00**	**1231.01**	**1451.54**	**38.65**	**1490.19**
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	1630.00	...	1630.00	1660.10	...	1660.10	2160.55	...	2160.55
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	16467.22	...	16467.22	14027.93	...	14027.93	14487.24	...	14487.24	18029.22	...	18029.22
7. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	189.62	...	189.62	285.87	...	285.87	262.00	...	262.00	414.71	...	414.71
जोड़-अन्य	**16656.84**	**...**	**16656.84**	**15943.80**	**...**	**15943.80**	**16409.34**	**...**	**16409.34**	**20604.48**	**...**	**20604.48**
कुल जोड़	**17229.12**	**19.60**	**17248.72**	**17378.12**	**30.00**	**17408.12**	**17610.35**	**30.00**	**17640.35**	**22056.02**	**38.65**	**22094.67**

1. **सचिवालय:** प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय पर व्यय के लिए है। इसमें मंत्रालय में ई-गवर्नेंस की गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के एपलिकेशन की खरीद, हार्ड-वेयर एवं सॉफ्ट-वेयर की खरीद, प्रशिक्षण आदि की आवश्यिकताएं भी शामिल हैं।

2. **खाद्य एवं पोषण बोर्ड:** खाद्य एवं पोषण बोर्ड (एफएनबी) मंत्रालय के बाल विकास ब्यूधरो के अधीन तकनीकी सहायता प्रकोष्ठ है । मंत्रालय में एफएनबी पोषण में नीतिगत मुद्दों पर कार्य करता है। यह व्यापक श्रेणी की पोषण शिक्षा एवं विस्तार सेवाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से पोषण शिक्षा एवं जागरूकता के लिए इनपुट प्रदान करने का भी प्रमुख कार्यकर्ता है।

3. **राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड):** निपसिड जन सहयोग एवं बाल विकास के क्षेत्र में अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययन संचालित करता है, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों का आयोजन करता है, सूचना सेवाएं प्रदान करता है और नई दिल्ली में अपने मुख्यालय तथा बैंगलोर, गुवाहाटी, इंदौर एवं लखनऊ में अपने चार क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यंम से प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परामर्श की आवश्यमकता भी पूरी करता है।

4. **केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा):** कारा देश के विभिन्न भागों में हितधारकों के लिए संवर्धनात्मक गतिविधियों के लिए तथा क्षमता निर्माण की गतिविधियों का संचालन करते हुए बच्चोंक के दत्तक ग्रहण को अभिशासित करने वाले दिशानिर्देश, 2011 को कार्यान्वित कर रहा है।

5. **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर):** बच्चों की संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों की निगरानी तथा बच्चों की उत्तरजीविता, कल्याण और विकास से संबंधित कार्यक्रमों की निगरानी के माध्यम से बच्चों के अधिकारों को बेहतर संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत आयोग का गठन किया गया।

6. **राष्ट्रीय महिला आयोग:** राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। इसका अधिदेश संविधान एवं अन्य कानूनों के तहत महिलाओं के लिए प्रदान किए गए सुरक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच एवं अन्वेषण करना है। यह शिकायतों की जांच पड़ताल करता है तथा महिलाओं के अधिकारों आदि के अपवंचन से संबंधित मामलों का स्व –प्रेरणा से संज्ञान लेता है।

7. **केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड:** सीएसडब्यूबी ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण एवं विकास के लिए अनके कार्यक्रम शुरू किए हैं। इस समय कार्यान्वित किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों मं शामिल हैं- महिलाओं और लड़कियों के लिए शिक्षा का संघनित पाठ्यक्रम जागरूकता सृजन कार्यक्रम, शिशुगृह स्कीम, परिवार काउंसलिंग केंद्र तथा अल्पाजवास गृह। ये स्कीमें राज्य समाज कल्याण बोर्डों के सहयोग से स्वैकच्छिक संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं।

8. **राष्ट्रीय महिला कोष:** राष्ट्रीय महिला कोष महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक शीर्ष सूक्ष्म वित्तर संगठन है। इससे सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों, महिला संघों तथा सहकारी बैंकों के माध्यंम से गरीब महिलाओं को सूक्ष्म ऋण प्रदान करने के लिए 1993 में केवल महिलाओं के गठित किया गया । आरएमके शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जीविका, सूक्ष्मं उद्यम, आवास तथा पारिवारिक जरूरतों के लिए जमानत के बगैर ग्राहक अनुकूल तथा बाधामुक्त विधि से ऋण प्रदान करता है।

9. **नेशनल अवार्ड्स:** इनमें बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए प्रावधान शामिल हैं।

10. **यूनिसेफ के लिए अंशदान:** यह यूनिसेफ को भारत के अंशदान पर व्यय को पूरा करने के लिए है ।

11. **आंगनवाड़ी सेवाएं (पूर्व में मुख्य आईसीडीएस):** प्रावधान 6 साल तक की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को स्वास्थ्य, पूरक पोषण तथा शैक्षिक सेवाओं का एक एकीकृत पैकेज प्रदान करने के लिए है। पैकेज में पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, रैफरल सेवाएं, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा शामिल है। स्कीम के सर्वसुलभीकरण के बाद सरकार ने मांग पर 20,000 आंगनवाड़ियों सहित संचयी रूप से 7075 परियोजनाएं (क्रियाशील 7073) और 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र/ लघु आंगनवाड़ी केंद्र अनुमोदित किए हैं।

12.01. **कार्यक्रम के घटक:** यह चयनित अधिक प्रभावित जिलों जहां बाल कुपोषण की दर बहुत अधिक है, में आवश्यक तकनीकी एवं प्रबंधकीय सहायता के माध्यम से प्रणाली सुदृढ़ीकरण एवं सेवा सुधार पर बल देगा। परियोजना के तहत प्रस्तावित सभी गतिविधियां आईसीडीएस (सामान्य) के तहत पात्र गतिविधियों के अलावा होंगी।

12.02. **ईएपी घटक:** पोषण में समेकित शिक्षा स्कीम का उद्देश्य लोगेां का निम्नाेनुसार पोषकता स्तर में वृद्धि करना है: केंद्र और राज्य स्तर पर नीति निर्माताओं का समर्थन करना, सबसे निचले स्तर से कार्यकर्ताओं और समुदायों को पोषणोन्मुखी तैयार करना, लोगों में सामान्य रूप से सूचना और जानकारी के व्यापक प्रचार-प्रसार तथा अभियान चलाना और चार प्रोन्नत खाद्य जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना करके गुणता आश्वासन प्रणाली का सशक्तीकरण।

13. **प्रसूति लाभ कार्यक्रम:** गर्भावस्थाी प्रथम तिमाही से प्रसव के पश्चाात छ: माह तक गर्भवती और स्त नपान कराने वाली महिलाओं को सीधे नकद सहायता प्रदान करने की परिकल्पाना की गई है। मां और बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित विशिष्ट शर्तें पूरी करने पर, गर्भवती व स्तननपान कराने वाली महिलाओं को रू.6000/- प्रदान किए जाते हैं। यह स्कीम आय सहायता के अल्पंकालिक उद्देश्यी के साथ-साथ व्यवहार और अभिवृत्ति में परिवर्तन के दीर्घकालिक उद्देश्यों को भी पूरा करेगी। यह स्कीम पूरे देश के 53 जिलों में प्रायोगिक आधार पर चलाई जा रही है। यह स्कीम गर्भवती और स्तनपान कराने वाली, दोनों प्रकार की महिलाओं को प्रसव से पूर्व और बाद में होने वाली मजदूरी की हानि की कुछ भरपायी से संबंधित प्रयास है।

14. **किशोरियों के लिए स्कीम:** यह स्कीम वर्ष 2010 में आरंभ की गई थी । यह स्कीम पूरे देश के 205 जिलों में प्रायोगिक आधार पर चलाई जा रही है। यह स्कीम 11 से 18 वर्ष की किशोर बालिकाओं के लिए है जिसे सबला कहते हैं। इस स्कीम को समेकित बाल विकास सेवाएं स्कीम के मंच से चलाया जा रहा है। इस स्कीम के दो घटक हैं जिन्हेंत पोषित और गैर-पोषित कहते हैं। 11 से 14 साल की स्कूल जाने वाली छात्राओं तथा 14 से 18 वर्ष की सभी स्कूल जाने या न जाने वाली किशोरियों को घर ले जानेवाले राशन, गर्म पके हुए भोजन के रुप में पोषण प्रदान किया जा रहा है। गैर-पोषित घटक 11 से 18 वर्ष की स्कूरल न जाने वाली किशोरियों को आईएफए पूरक आहार, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाए, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, काउंसिलिंग और परिवार कल्या पर मार्गदर्शन , किशोरी प्रजनन यौन स्वास्थ्य (अर्श), स्वास्थ्य देखरेख अभ्यास और जीवन कौशल शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ।

15. **राष्ट्रीय क्रेच स्कीम:** इस स्कीम का उद्देश्यव कार्यरत माताओं और अन्य पात्र माताओं जिनकी पारिवारिक मासिक आय रू.12000/- से अधिक नहीं है, के बच्चों (0-6 वर्ष की आयु वर्ग) को दिन में देखरेख सुविधाएं प्रदान करना है। इस योजना के द्वारा पूरक पोषण, स्वास्थ्य देखभाल इनपुट्स जैसे प्रतिरक्षण, पोलियो ड्राप, बुनियादी स्वास्थ्य देखरेख,शयन सुविधाएं, प्रारंभिक सिमुलेशन(03वर्ष से कम), 3-6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्कूलपूर्व शिक्षा और तात्कालिक औषधियों की व्यवस्था की जाती है।

16. **बाल संरक्षण योजना:** मंत्रालय देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले बालकों या कानून विरुद्ध कार्य में लिप्त पाये गए और अन्य जरूरतमंद व असुरक्षित बच्चों के व्यापक विकास के लिए सुरक्षित और संरक्षित वातावरण का सृजन करने के उद्देश्य से इस केंद्रीय प्रायोजित योजना को क्रियान्वित कर रहा है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2009-10 से क्रियान्वित की जा रही है। कार्यक्रम संघटकों में संस्थागत सेवाएं जैसे बसेरा गृह, बाल गृह, प्रेक्षण गृह, विशेष गृह, केंद्र,राज्य और जिला स्तरों पर समर्पित सेवा प्रदायगी संरचनाएं, प्रायोजकता के माध्यम से परिवार आधारित गैर-संस्थागत देख–रेख, धात्री देखरेख, दत्तक ग्रहण, परवर्ती देखरेख कार्यक्रम, चाइल्ड लाइन और बाल ट्रेकिंग सिस्टम के माध्यम से तात्कालिक ऑउटरिच सेवा आदि सम्मिलित हैं। समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) ने मौजूदा बाल संरक्षण कार्यक्रमों यानि (1) किशोर न्याय के लिए कार्यक्रम, (2) बेघर बालकों के लिए समेकित कार्यक्रम और (3) एक योजना के तहत देश में दत्तक ग्रहण को बढावा देने के लिए गृहों (शिशु गृह)को सहायता देने की स्कीम को भी अपने दायरे में लाया है और नए उपाय भी प्रारम्भ किए हैं।

17. **देख-रेख और संरक्षण के जरूरतमंद कामकाजी बालकों के कल्याण की योजना:** इस योजना का उद्देश्य कामकाजी बालकों के स्वास्थ्य की देखभाल एवं पोषण के अलावा उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोडना और स्व-रोजगार हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कराना भी है।

18. **राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन:** यह योजना विभिन्न मंत्रालयों की महिलाओं से संबंधित योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण के माध्यम से सुगम बनाना है। महिलाओं के संरक्षण और सशक्तीकरण के राष्ट्रीय मिशन (एनएमईड्ब्ल्यू) का लक्ष्य महिलाओं के चहुंमुखी विकास के संवर्द्धन की समग्र प्रक्रियाओं को सुदृढ करना है।

19. **स्वाधार गृह:** इस योजना का लक्ष्य क्रूरता/निर्दयता आदि की पीडितों सहित विकट परिस्थितियों में रह रही महिलाओं को राहत और पुनर्वास उपलब्ध कराना है।

20. **प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम को सहयोग देना (एसटीईपी):** इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को ऐसा कौशल प्रदान करके उनकी रोजगार क्षमता, कुशलता और दक्षता बढाना है जिससे महिलाएं स्व-नियोजित/ उद्यमी बन सकें।

21. **उज्ज्वला:** यह अनैतिक दुर्व्यापार के रोकथाम के लिए विस्तृत स्कीम है और वाणिज्यिक यौन शोषण के अनैतिक दुर्व्यापार की पीडितों का बचाव, पुनर्वास, परिवार से पुनर्मिलन और प्रत्यावर्तन कराना है।

22. **कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल:** यह निवास-स्थल से दूर रह रही कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास-सुविधा सुनिश्चित करती है।

23. **जेंडर बजटिंग:** आयोजन, बजटिंग, क्रियान्वजयन, प्रभाव आंकलन तथा नीति कार्यक्रम के उद्देश्योंं तथा आबंटनों के निरीक्षण के विभिन्नअ चरणों पर जेंडर परिप्रेक्ष्यs को मुख्य धारा में लाने के लिए जेंडर बजटिंग को एक साधन के रूप में अंगीकार किया गया है।

24. **अनुसंधान, प्रकाशन तथा मानीटरिंग:** मंत्रालय खाद्य तथा पोषण से संबंधित पहलुओं सहित महिलाओं तथा बच्चोंओ के कल्याण तथा विकास के क्षेत्रों में अनुसंधान प्रकाशन तथा मानीटरिंग की परियोजनाओं को प्रायोजित करता है।

25. **सूचना एवं जन संचार (मीडिया):** सूचना तथा जन संचार (मीडिया) का उद्देश्य नीतियों / कार्यक्रमों / कार्यकलापों, विधायी उपायों तथा मनोदशा में बदलाव लाने के लिए सर्वसाधारण के लिए सुव्यवस्थित उपाय में जागरूकता बढ़ाने / प्रचार करने का है।

26. **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ:** सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का उद्देश्य देश में जन अभियान और कम बाल लिंग अनुपात वाले 100 चयनित जिलों में संकेंद्रित उपायों तथा बहु क्षेत्रीय कार्रवाई के माध्यम से घटते हुए बाल लिंग अनुपात की समस्या का समाधान करना है। इस स्की ाम का विस्तांर 11 राज्यों को शामिल करते हुए 61 अतिरिक्त जिलों में कर दिया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) कार्यक्रम का समग्र लक्ष्य लड़कियों का जन्मोत्संव मनाना और उन्हें ं शिक्षा का अधिकार देना है। स्कीम के विशिष्ट उद्देश्य (i) लिंग पूर्वाग्रह लिंग चयनित गर्भ के समापन की रोकथाम (ii) उत्तरजीविता सुनिश्चित करना (iii) बालिका का संरक्षण और (iv) बालिका की शिक्षा एवं भागीदारी सुनिश्चित करना हैं। बीबीबीपी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। क्रियान्वचयन के लिए जिला स्तर पर जिला कलैक्टर/उपायुक्त नोडल अधिकारी है।

27. **महिला हेल्पेलाइन:** मंत्रालय ने महिला हेल्प लाइन सर्वसुलभीकरण की स्कीम 19 फरवरी, 2015 को अनुमोदित कर दी है। यह स्कीम 01.04.2015 से क्रियान्वित की जा रही है। महिला हेल्प लाइन (डबल्यूएचएल) सार्वजनिक तथा निजी दोनों स्थानों पर हिंसा से पीड़ित सभी महिलाओं को 24 घंटे आपात प्रतिक्रिया उपलब्ध कराएगी।

28. **वन स्टॉप सेंटर:** वन स्टॉ ेप सेंटर मुख्य रूप से परिवार, समाज, कार्यस्थल सहित निजी तथा सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक ही स्था ान पर सहायता प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। इस स्कीम का उद्देश्यं हिंसा से प्रभावित महिलाओ को मेडिकल सहायता पुलिस सहायता, कानूनी सहायता/मामला प्रबंधन, मनौवैज्ञानिक परामर्श तथा अस्था ायी सहायता सेवाओं सहित समेकित सेवा सीमा की सुलभता सुकर कराना है। यह स्कीहम 1 अप्रैल, 2015 से क्रियान्वित की जा रही है।